न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./31/2024

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री राधाकिशन जाति ब्राहमण निवासी पड़ांगा, तहसील भिनाय जिला केकड़ी राज.
2. सुरेशचन्द पुत्र श्री राधाकिशन जाति ब्राहमण निवासी पड़ांगा, तहसील भिनाय जिला केकड़ी राज.
3. दुर्गा देवी पत्नी श्री राधाकिशन जाति ब्राहमण निवासी पड़ांगा, तहसील भिनाय जिला केकड़ी राज.
4. उर्मिला पत्नी सुरेशचन्द जाति ब्राहमण निवासी पड़ांगा, तहसील भिनाय जिला केकड़ी राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रतिवादी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–19.07.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री गजानन्द सिंह रावत
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा पड़ांगा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 150 मे दर्ज खसरा नं. 2335/1865 रकबा 0.40 कुल किता 01 कुल रकबा 0.40, खाता सं0 479 खसरा नं. 2327/1866 रकबा 1.07 कुल किता 01 कुल रकबा 1.07, खाता सं0 154 खसरा नं0 1867 रकबा 0.93 कुल किता 01 कुल रकबा 0.93 एवं खाता सं0 20 खसरा सं0 2345/1865 रकबा 0.16 कुल किता 01 कुल रकबा 0.16 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।स

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पैरोकार सरकार से जवाब लिया जाकर, पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम पड़ांगा के खाता संख्या 150, खाता संख्या 479, खाता संख्या 154 तथा खाता संख्या 20 संवत 2071 2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वंय की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

स्वीकार किया जाकर मौजा पड़ांगा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 150 में दर्ज खसरा नं. 2335/1865 रकबा 0.40 कुल किता 01 कुल रकबा 0.40, खाता सं0 479 खसरा नं. 2327/1866 रकबा 1.07 कुल किता 01 कुल रकबा 1.07, खाता सं0 154 खसरा नं0 1867 रकबा 0.93 कुल किता 01 कुल रकबा 0.93 एवं खाता सं0 20 खसरा सं0 2345/1865 रकबा 0.16 कुल किता 01 कुल रकबा 0.16 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/— रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)